

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... मुकाम.....

मगारात बनाम हनुमान सिंह वीर्य

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR नं. 26/22 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06/12/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>हरीराम चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना चत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>08/02/2022</u> को पेश हो।</p>	
08/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। सीमान्त पीठाधीन अधिकारी डिगल ठाणे में पत्रावली देने से मिकाल इल्लवा डौडर असागम/दिनांक-22/02/2022 को पेश हो/ए</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) राउमेर</p>
22/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामील क्रिय तामील असागम/सम्पन पीठाधीन अधिकारी डिगल ठाणे में पत्रावली देने से मिकाल इल्लवा डौडर असागम/दिनांक-19/04/2022 को पेश हो/ए</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उप
मं

अज अदालत उप
तारीख हुक्म

19/04/2022

प्राथी वहील उपाल्पत/ विप्राथीगिवा
के नोदिल जरिये रजिस्ट्रड एडी मिजवाये
गमे जिनरी एडी पुनः प्राप्त नही हुई है इन्तजार
दोहर पसावली दिनांक - 12/05/2022 को पेरा हो।

12/05/2022

प्राथी वहील उपाल्पत/ विप्राथीगिवा
के नोदिल पूर्व में जरिये रजिस्ट्रड एडी
मिजवाये गमे जिनको उरीन 2 माह के अधिक
का समय उपवर्तित हो चुका है 2 माह
गुजरने के उपरान्त भी विप्राथीगिवा स्वयं
या उनको कोर ले कोई अधिकवक्ता उपाल्पत
नही हुआ। खि न्यायालय समय तीन बार
कोवाज लगाई गई अन्तम कोवाज 5:45
PM पर लगाई गई विप्राथीगिवा स्वयं या
उनको कोर ले कोई अधिकवक्ता उपाल्पत
नही हुआ। लिहाजा विप्राथीगिवा के विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही प्रमत्त में लाई जाती है
मल; वालने ठावसे पसावली दिनांक - 27/06/22
को पेरा हो। म

सहायक कलक्टर (SDO)
नायतु
जिला - राडमेर

सहायक कलक्टर (SDO)
नायतु
जिला - राडमेर

27/06/22

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

27/06/2022

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

न. व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तागिल में जारी हुए

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला - बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क : वाद / 2022 / 1146

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मगाराम पुत्र गोमाराम वगैरा 02,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. हनुमानसिंह पुत्र राऊराम वगैरा 42,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 26 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 227, 511/226, 512/227, 628/228, 630/235, 635/513 रकबा क्रमशः 0.0566, 0.0243, 0.0243, 3.5660, 1.4319, 0.1699 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1147-51

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र गोमाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री हनुमानसिंह पुत्र राऊराम वगैरा 42,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिसा)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला बाड़मेर